न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - 1024/2021 शीर्षक रमू देवी बनाम शंकर(लाल)

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	02.05.25 पत्रा० पेश हुई अधिवक्ता उपस्थित। आज पत्रा० वास्ते आदेश नियत है समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 16.05.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
	16.05.25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज व्यस्त/अवकाश पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23.05.25 को पेश हो।	
	23.05.25 पत्रा० पेश हुई अधिवक्ता उपस्थित। आज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 A RTA 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय/आदेश पृथक से लिखवाया जाकर प्रा० मा० किया गया। पत्रावली मिसल मुकम्मल होकर नम्बर से कमी हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 1024/2021
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 22.11.2021
निर्णय दिनांक – 23.05.25

अनवान

1. टमु देवी पत्नि गोपीचंद रेगर निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द ।

.......................प्रार्थीया

बनाम

1. शंकरलाल पिता लालु तेली निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद।

.......................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री प्रवीण मण्डोवरा
अधिवक्ता विपक्षी सं. 1–श्री दिग्विजय सिंह
विपक्षी संख्या 2 – पेरोकार राज,

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोही तहसील राजसमंद में प्रार्थिया के हक आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 913/2, 914/2, 915, 916 किता 4 रकबा 8–19 बीघा स्थित है। उक्त भूमियां प्रार्थिया की क्रयशुदा होकर प्रार्थिया ने उक्त भूमियों को श्री मोहनलाल पिता भैरूलाल बलाई निवासी कांकरोली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की है तथा उक्त भूमियों का क्रय दिनांक से ही प्रार्थिया लगातार बिना किसी बाधा रूकावट के उपयोग उपभोग कर रही है। परन्तु उक्त भूमियो में आने जाने व ट्रेक्टर हल आदि लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थिया को उक्त भूमियो पर कृषि कार्य करने में परेशानी हो रही है। प्रार्थिया की उक्त भूमियो के पडोस में जिन लोगो की भूमियो स्थित है वे लोग प्रार्थियो को अपनी भूमि मे से होकर प्रार्थिया की भूमि पर आने जाने से रोकते है। जिससे प्रार्थिया अपनी भूमियों में कृषि कार्य नहीं कर पा रही है प्रार्थिया की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर विपक्षी श्री शंकरलाल पिता लालु जी तेली की कृषि भूमि आराजी नम्बर 857 व 858 स्थित है। जिसके पश्चात रास्ता उपलब्ध है। अर्थात प्रार्थिया की भूमिया एवं उपलब्ध रास्ते के मध्य आराजी नम्बर 857 व 858 आती है प्रार्थिया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की भूमियो में आने जाने हेतु प्रार्थिया की आराजी संख्या 915 के पश्चिम दिशा की ओर स्थित विपक्षी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 857 व 858 में से 30 फीट चौडा रास्त दिलवाया जावे इस हेतु नियमानुसार लगने वाला शुल्क प्रार्थिया अदा करने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार राजसमंद की ओर से दिनांक 09.12.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें यह अंकित किया गया की प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम मोही में स्थित आराजी नम्बर 913/2, 914/2, 915, 916 कुल किता 4 रकबा 8–19 बीघा भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थिया के उक्त भूमियों में आने जाने हेतु राजस्व रेकोर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थिया विपक्षी शंकरलाल पिता लालू तेली के आराजी नम्बर 857 व 858 में से अपनी आराजियात मे आने जाने हेतु रास्ता चाहती है। वर्तमान में प्रार्थिया के खेतो में फसल की बुवाई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

की हुई है। और प्रार्थिया अपने स्वयं के आराजियात में आने जाने हेतु एवं कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए आराजी नम्बर 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में से रास्ते का उपयोग उपभोग करती आ रही है। उक्त आराजियात खातेदार देवकीनन्दन शांतिलाल मोहनलाल पिता भैरूलाल बलाई सा. कांकरोली के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा भूमि भी इन्ही पक्षकार से क्रय की गई है।

विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय होने से दिनांक 14.08.2020 को प्रार्थिया के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार राजसमंद की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के आराजियात में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होकर प्रार्थिया द्वारा वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना साबित नही कराया जाने से न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2020 को प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 28.09.2021 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया कि विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से प्रार्थीया के कथनों का खण्डन नही हुआ है एवं मौका रिपोर्ट में भी स्वयं पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की आराजी नबर 913/2, 914/2, 915 व 916 पर किसी प्रकार का कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं होना माना है तथा मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में जो रास्ता हरे रंग से दर्शा रखा है उसकी दूरी अपीलान्ट द्वारा चाहे गये रास्ते, जिसे काले रंग से दर्शा रखा है से अधिक प्रतीत होती है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यूनतम दूरी का सबसे सरल एवं सुगम रास्ता कीमतन दिये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को हम प्रथम दृष्टया त्रुटि पाते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः नये सिरे से रास्ते बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर न्यूनतम दूरी के रास्ते बाबत विवेचन कर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22-11-2021 को उपस्थित रहे।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2021 की पालना में दिनांक 22.11.2021 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया एवं तहसीलदार राजसमन्द से माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर विपक्षी संख्या 1 को भी जवाब हेतु अवसर दिया गया जिस पर विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.06.2024 को पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.01.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम मोही के आराजी न 913/2 914/2 915 916 कुल किता 4 रकबा 1.4488 है० खातेदार टमुदेवी पत्नि गोपीचन्द रेगर निवासी मोही के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। प्राथीया के खातेदारी आराजीयात 913/2 914/2 915 916 में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज रेकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीया आराजी न 857 858 कुल किता 2 रकबा क्रमशः 0.1133 है० व 0.1376 है0 में से अपने आराजियात से आने जाने हेतु रास्ता चाहती है जो कि खातेदार शंकर पुत्र लालु जाति तेली के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। राजस्व ग्राम मोही के आराजी न 914/2 913/2 915 916 किता 04 रकबा 8-19 अर्थात 1.4487 है० भूमि खातेदार टमुदेवी पत्नी गोपीचन्द रेगर ने पूर्व खातेदार मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बलाई से नामान्तरकरण संख्या 4740 दिनाक 23.03.2019 से खरीदा उस समय पूर्व खातेदार आराजी नं. 905 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 से जाता था। वर्तमान में भी उपरोक्त आराजीयात 905, 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में पूर्व खातेदार मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बलाई के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज रकॉर्ड है। वर्तमान खातेदार ने रास्ते के लिए प्रयुक्त उपरोक्त आराजीयात में भूमि क्रय नहीं की है। अतः वर्तमान खातेदार भी पूर्ववत खातेदार द्वारा जो मौके पर रास्ते के लिए भूमि छोड़ रखी है

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उसको रास्ते के लिए क्रय करना उचित है रास्ते के अलावा अन्य कोई भूमि पूर्व खातेदार के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड नहीं है।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया गया कि यह गलत है कि प्रार्थीया के खातेदारी की भूमियों में ट्रेक्टर, हल आदि लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों का सामना पड रहा हो तथा प्रार्थीया अपने उक्त भूमियों पर कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण व मशीनरी नहीं ले जा पा रही हो जिससे प्रार्थीया को उक्त भूमियों पर कृषि कार्य करने में परेशानी हो रही हो। प्रार्थीया के खातेदारी भूमियो में आने जाने के लिए रास्ता प्रार्थीया द्वारा भूमियां क्रय करने के पूर्व से विद्यमान है और प्रार्थीया भी इसी रास्ते का उपयोग कर अपने खेतों में कृषि कार्य कर रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। जब प्रार्थीया के खातेदारी भूमियों में आने जाने के लिए अलग से रास्ता विद्यमान है तो प्रार्थीया की उक्त भूमियों के पडौसी खातेदारान् द्वारा प्रार्थीया को अपनी भूमियों में से होकर प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने से रोकने का एवं हर समय विवाद की सम्भावना बनी रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थिया का यह कहना गलत है कि प्रार्थीया स्वंतत्र रूप से अपनी भूमियों में कृषि कार्य नहीं कर पा रही हो। प्रार्थीया की कृषि भूमियों में वर्तमान में भी फसल बोई हुई है जो प्रार्थीया द्वारा उक्त वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके ही बोई गई हैं। प्रार्थीया के खातेदारी भूमियों का अलग से रास्ता मौजूद है इसलिए प्रार्थीया को विपक्षी संख्या एक के खातेदारी की आराजी संख्या 857 व 858 में से नए सिरे से रास्ता कायम कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के खातेदारी की भूमियों में आने जाने के लिए रास्ता आराजी संख्या 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में से होकर मौके पर मौजुद है और प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी द्वारा भी इसी रास्ते का उपयोग करके आराजी संख्या 913/2, 914/2, 915 व 916 में कृषि कार्य किया जाता रहा है। प्रार्थिया का यह कहना गलत है कि प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रार्थीया को विपक्षी संख्या 1 की भूमियों में से नया रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण में आज दिनांक को उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपनी बहस में प्रार्थिया की कृषि भुमि आराजी संख्या 913/2, 914/2, 915 व 916 में आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, हल, बैल आदि लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से विपक्षी की आराजी संख्या 857 व 858 में से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपनी जवाबी बहस में प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया जाकर मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताया गया एवं यह कथन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी की उक्त भूमियों में आने जाने के लिए रास्ता आराजी संख्या 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में से होकर मौके पर मौजूद है प्रार्थिया ने उक्त भूमि जिन खातेदारों से क्रय की है उनके द्वारा भी इसी रास्ते का उपयोग करके उक्त आराजी संख्या 913/2, 914/2, 915 व 916 में कृषि कार्य किया जाता रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थीया की कृषि भूमियों में फसल बोई हुई है जो प्रार्थीया द्वारा उक्त वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके ही बोई गई हैं। जिससे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थिया नया रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि राजस्व ग्राम मोही में स्थित प्रार्थिया टमुदेवी की खातेदारी की आराजीयात आराजी नं. 914/2, 913/2, 915 व 916 कुल किता 04 रकबा 1.4487 है० भूमि प्रार्थिया द्वारा पूर्व खातेदार मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बलाई से खरीदी गई थी एवं प्रार्थिया द्वारा खरिदी गई उक्त भूमि में आने जाने के लिए पूर्व खातेदार द्वारा आराजी नं. 905 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से रास्ते के लिए भूमि पृथक से छोडी जाकर उसका उपयोग रास्ते के लिए किया जाता था प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि क्रय करते समय उपरोक्त आराजीयात में से रास्ते के लिए प्रयुक्त विक्रेता मोहनलाल के हिस्से की भूमि क्रय नहीं की गई। जिससे उपरोक्त आराजीयात 905, 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में अब भी पूर्व खातेदार मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बलाई के नाम पर 1/3 हिस्सा रकॉर्ड में दर्ज है एवं रास्ते के अलावा अन्य कोई भूमि पूर्व खातेदार के नाम पर रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। पूर्व खातेदार द्वारा जो

भूमि मौके पर रास्ते के लिए भूमि छोड़ी गई थी उसका उपयोग आज भी प्रार्थीया द्वारा किया जाकर अपनी आराजीयात में काश्त की जा रही है। जिससे न्यायालय का मत है कि राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होने से तहसीलदार रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि "प्रार्थीया के खातेदारी आराजीयात 913/2, 914/2, 915, 916 में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज रेकॉर्ड नहीं है।" किन्तु वास्तव में मौके पर उपरोक्त आराजीयात 905, 906/1, 908/1, 910/1, 911/1 में अब भी पूर्व खातेदार मोहनलाल पुत्र भैरूलाल बलाई के नाम पर दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में किया जा रहा है। रास्ते के अलावा अन्य कोई भूमि पूर्व खातेदार के नाम पर रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु पृथक से विधिवत रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहती है तो आराजी संख्या 905, 906/1, 908/1, 910/1 व 911/1 में से पूर्व खातेदार के नाम पर दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि जिसका उपयोग वर्तमान में रास्ते के रूप में प्रार्थिया द्वारा किया जा रहा है, को ही प्रार्थिया को रास्ते के रूप में दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाया जाना उचित है। क्योंकि उक्त भूमि पहले से पूर्व खातेदार द्वारा रास्ते के रूप में छोडी जाकर मौके पर उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में हो रहा है। मौके पर रास्ता पहले मौजुद होने से विपक्षी की आराजी संख्या 856 व 857 में रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाकर वैकल्पिक रास्ता मौजुद होना अपने जवाब में अंकित किया गया है। प्रार्थिया रा0का0अधि0 की धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम करवाना चाहती है। रा0का0अधि0 की धारा 251 ए के तहत वैकल्पिक रास्ता नहीं होकर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है किन्तु इस प्रकरण में रास्ता पहले से मौजुद होकर प्रार्थिया द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त की जा रही है। जिससे प्रार्थिया का यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाकर नम्बर से कमी होवें।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 23.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द